भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या : 49

उत्‍तर देने की तारीख : 24 नवंबर, 2014

**कोरापुट के केन्द्रीय विश्वविद्यालय का अल्प विकास**

**49. श्री प्यारीमोहन महापात्रः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या शैक्षणिक और अन्य अवसंरचनागत कमियों के कारण कोरापुट में स्थित केन्द्रीय विश्वविद्यालय का अल्प-विकास हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी कमियों को दूर करने के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं और किए जाने का विचार है?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास राज्‍यमंत्री**

**(प्रो. (डॉ.) राम शंकर कठेरिया)**

**(क):** उड़ीसा केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालय, कोरापुट की स्‍थापना केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालय अधिनियम, 2009 के अंतर्गत की गई थी। इस समय यह विश्‍वविद्यालय अपने शैक्षिक कार्यकलाप 9 केन्‍द्रों सहित 6 स्‍कूलों के जरिए कोरापुट में एक अस्‍थायी भवन से चला रहा है। विश्‍वविद्यालय अपने सांविधिक निकायों जैसे शैक्षिक परिषद एवं कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यचर्या का अनुसरण करता है। अवसंरचना विकास के संबंध में विश्‍वविद्यालय और राज्‍य सरकार के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार भूमि, सड़क कनेक्टिविटी, विद्युत और जल आपूर्ति से संबंधित बाहरी अवसंरचना प्रदान करना उड़ीसा सरकार का उत्‍तरदायित्‍व है। विश्‍वविद्यालय को राज्‍य सरकार द्वारा 435 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। शैक्षिक और अवसंरचना से संबंधित विश्‍वविद्यालय का विकास काफी पहले से कार्यान्वित और चल रही प्रक्रिया है। यह भी सत्‍य है कि दूरस्‍थ क्षेत्र में विश्‍वविद्यालय का स्थित होना भी इसके शीघ्र विकास में एक बाधा है। निकटतम विमानपतन, उत्‍तम अस्‍पताल और अन्‍य अच्‍छी अवसंरचना स्‍थान के निकट उपलब्‍ध नहीं है और सभी अच्‍छी सुविधाओं वाला निकटतम नगर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है जो कोरापुट से 200 कि.मी. दूर है। ये सभी घटक, विश्‍वविद्यालय के संकाय और छात्रों को आकर्षित करने में अहितकर हैं।

**(ख):** उड़ीसा केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालय ने हाल ही में विभिन्‍न कार्यकारी एजेंसियों जैसे सीपीडब्‍ल्‍यूडी और राज्‍य पीडब्‍ल्‍यूडी को परिसर के अंदर जल आपूर्ति पावर लाइन, उप.स्‍टेशन, भूमिगत होदी का निर्माण, अस्‍थायी शैक्षिक ब्‍लॉक, परिसर दीवार, आरसीसी ड्रेन्स, साइलेंट डीज़ल जेनरेटर सेट और परिसर क्षेत्र में स्‍ट्रीट लाइट इत्‍यादि के लिए कार्य आदेश जारी किए हैं।

\*\*\*\*\*